

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

<p align="center">10 15.12.2023</p>	<p align="center">न्यायालय उपायुक्त, रॉंची दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 15 आर० 15/2022-23</p> <p>आलोक कुमार सिंह पिता स्व० राज किशोर सिंह निवासी बलबीर विल्ला, अशोक नगर, रोड सं० 2 के निकट कडरू, थाना अरगोड़ा, जिला रॉंची प्रार्थी बनाम्</p> <p>1. बीर इन्दर सिंह रंधावा पिता स्व० बलबीर सिंह रंधावा निवासी गृह सं० सी० 8, कोयल नगर, राउरकेला, थाना झीरपाय, जिला सुन्दरगढ़ (ओड़िसा)</p> <p>2. विजय कुमार साहु पिता अर्जुन साहु निवासी परमार्थ नगर, तुपुदाना, हटिया, रॉंची उत्तरवादी</p> <p align="center">आदेश</p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, रॉंची के द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद सं० 37 आर० 15/2020-21 में पारित आदेश दिनांक/ 01.04.2022 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची ने उत्तरवादी सं० 2 के द्वारा दायर अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी अरगोड़ा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 714 आर० 27/2019-20 में दिनांक 04.02.2020 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मौजा अरगोड़ा, थाना सं 207, जिला रॉंची के आर० एस० खाता सं० 263, प्लॉट सं० 2158, एम० एस० प्लॉट सं० 1867 भूमि का पूर्व पंजी 11 रैयत के नाम से जमाबंदी संधारित करते हुए उत्तरवादी सं० 2 के द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच पडताल करके नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया।</p> <p>विगत तिथि को बार-बार पुकार करवाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से इस पुनरीक्षण वाद में अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के अनुरोध पर उन्हें इस वाद को अंगीकृत करने की बिन्दु पर बहस हेतु समय प्रदान किया गया, परन्तु प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद उनकी ओर से इस वाद को अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अब इस पुनरीक्षण वाद के निष्पादन हेतु कोई</p>	
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2

अभिलेखित नहीं रह गया है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव में समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखपित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची


उपायुक्त
राँची